बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

सं0सं0–निग / सारा (निगम) आरोप–27 / 2021 4331(S) पटना, दिनांक :– 24/6/26

अधिसूचना

श्री सुशान्त कुमार, तत्कालीन उप महाप्रबंधक (कार्यपालक अभियंता) बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जमुई के द्वारा उक्त पदस्थापन काल में बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड द्वारा ADB BSHP-III अन्तर्गत क्रियान्वित राज्य उच्च पथ सं0–82 (कादिरगंज–देवानगढ़–खैरा पथ) के पैकेज सं0–05, 06 एवं 07 में की गयी अनियमितता के मामले में श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना सं0–2513 (एस) दिनांक–04.06.2021 के द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5437 (एस) अनु0 दिनांक–05.11.2021 के द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में गठित आरोप के बिन्दु निम्नवत है :–

(1) बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक–3348, दिनांक–08.07.2020 द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी श्री आशुतोष कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक (तक0), द्वारा दिनांक–11.07.2021 को किए गए राज्य उच्च पथ संख्या–82 के स्थल निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि क्षेत्राधीन परियोजना राज्य उच्च पथ सं0–82 (कादिरगंज–खैरा पथ) की कार्य प्रगति धीमी तथा असंतोषजनक रही तथा मॉनसून के समय पथ का रख–रखाव ठीक नहीं किया गया, जिससे वाहनों के परिचालन में बाधा हुई।

(2) षोडश बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार के अतारांकित प्रश्न सं0–पथ–36–द्वारा उठाए गए बिन्दुओं के संबंध में राज्य उच्च पथ संख्या–82 (कादिरगंज–खैरा पथ) परियोजनान्तर्गत किलोमीटर 36 एवं 38 पर अवस्थित पुलों एवं रूपौ बाजार के समीप नाला निर्माण कार्य की जाँच हेतु जाँच दल गठित किया गया, जिसके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परियोजना के संवेदक द्वारा समर्पित Design/Drawing को बिना उचित जाँच एवं विश्लेषण के Senior Bridge/Structural Engineer द्वारा अनुशंसित किया गया तथा Team Leader द्वारा इन्हें बिना किसी Supporting documents के अनुमोदित किया गया, परियोजना के Resident Engineer द्वारा site पर proper methodology एवं echnical specification की अनदेखी की गई तथा परियोजना के Engineer द्वारा नियमित निरीक्षण नहीं किया गया तथा अनुश्रवण के प्रति casual approach बरता गया। जाँच दल द्वारा पर्यवेक्षण परामर्शी तथा संवेदक के विरूद्ध Contract के सुसंगत Clause के अनुरूप कार्रवाई की अनुशंसा की गई जिस पर तत्कालीन उप महाप्रबंधक (तकनीकी), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जमुई पर भी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(3) बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं महाप्रबंधक (परियोजना–2) द्वारा दिनांक–23.03.2021 को राज्य उच्च पथ सं0–82 परियोजना का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि मार्ग रेखांकन में पेड़ों की कटाई नहीं की गई है, जबकि वन विभाग से इसकी स्वीकृति पूर्व से प्राप्त थी। इसके अलावा कार्य की प्रगति धीमी होने के साथ हीं Bituminous work में Gap पाया गया, जो यातायात परिचालन के लिए खतरनाक था। पैकेज 6 के पथांश किलोमीटर 48+600 से किलोमीटर 54+300, जो जमुई जिला में स्थित है, में सात (07) मीटर चौड़े सड़क को dismantle कर पुनः पथ का निर्माण किया गया जिससे

परियोजना पर अतिरिक्त वितीय बोझ आया साथ हीं यह भी पाया गया कि निर्मित पथ को dismantle करने के बाद उसपर कोई कार्य होता नहीं पाया गया।

(4) बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक (परियोजना–2) द्वारा दिनांक–08.04.2021 को राज्य उच्च पथ सं0–82 परियोजना का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि पथ में Subgrade एवं GSB का पहला लेयर (Drainage layer) का प्रावधान embankment slope शुरू होने तक किया जाना था, जो निरूपण के आधार पर नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य उच्च पथ सं0–82 के पहले 2 कि0मी0 लम्बाई में DBM के edge में एकरूपता का अभाव पाया गया तथा कई स्थानों पर DBM में crack पाया गया। इसके आधार पर अन्य के विरूद्ध कार्रवाई के अतिरिक्त तत्कालीन परियोजना प्रभारी श्री कुमार के विरूद्ध भी आनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

(5) उच्चाधिकारियों द्वारा स्थल भ्रमण/निरीक्षण के क्रम में संवेदक के द्वारा एकरारनामा के प्रावधानों के अनुरूप मैनपावर, मशीनरी एवं निर्माण सामग्रियों के Mobilization नहीं पाया गया। जबकि इसके लिए संवेदक को Mobilization Advance की राशि दी जा चुकी थी फिर भी उप महाप्रबंधक (तक0) द्वारा इसमें अपेक्षित सुधार के लिए कार्रवाई नहीं की गई।

2. उक्त संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–4986 अनु0 दिनांक–07.12.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित उक्त पाँचों आरोपों को अप्रमाणित होने का निष्कर्ष गठित किया गया। विभागीय समीक्षोपरांत असहमति की बिन्दु गठित करते हुए आरोप सं0–02, 04 एवं 05 के संबंध में विभागीय पत्रांक–4920 (एस) अनु0 दिनांक–04.10.2024 के द्वारा श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी।

3. उक्त के आलोक में श्री कुमार के पत्रांक–शून्य दिनांक–24.10.2024 के द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन विभाग को समर्पित किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की उपलब्ध अभिलेखों/तथ्यों के आधार पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि :–

(i) आरोप संख्या – 02 एवं 04 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष को इस आधार पर अस्वीकार योग्य पाया गया है कि Contract Agreement के Terms of Reference (ToR) के Clause 6 (Deficiency of Services) के अनुसार SH–82 में Consultant के Services में Deficiencies के लिए ससमय उचित कार्रवाई नहीं की गयी। आरोपी के द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन/निवेदन में कोई नया तथ्य एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि संचालन पदाधिकारी के समक्ष पूर्व में समर्पित बचाव–बयान को ही कमोबेश नये सिरे दुहराया गया है।

(ii) आरोप सं0–05 को संचालन पदाधिकारी द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर अप्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया है कि आरोपी द्वारा मैनपावर, मशीनरी एवं निर्माण सामग्री में कमी पाये जाने के संबंध में BSRDCL को अवगत कराते हुए संवेदक के विरूद्ध एकरारनामा के Clause–15.2 के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा की गयी थी और आरोपी के विरूद्ध कहीं भी कोई Specific Lackness इंगित नहीं किया गया है, जबकि आरोपी के बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी की समीक्षा के तहत जिस पत्र द्वारा

संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा किये जाने की बात कहीं गयी है, के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी द्वारा कहीं भी संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में अनुशंसा नहीं की गई है। स्पष्ट है कि आरोपी का कथन तथ्यगत नहीं है। असहमति के उक्त बिन्दु के संबंध में आरोपी श्री कुमार के द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि पूर्व में बचाव बयान में उल्लेखित पत्रांक 328 दिनांक 28.08.2020 को ही पुनः उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी थी, परन्तु इस पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि इनके द्वारा संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा नहीं की गयी है। स्पष्ट है कि श्री कुमार का उत्तर तथ्यगत नहीं है।

(iii) साथ ही आरोपी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि संवेदक को Mobilization Advance दी गई थी और स्थल पर एकरारनामा के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में मैनपावर, मशीनरी एवं निर्माण सामग्री नहीं पाया गया है। यदि संवेदक के द्वारा कार्य स्थल पर एकरारनामा के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में मैनपावर, मशीनरी एवं निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं कराया गया था तो आरोपी के द्वारा Mobilization Advance के दूसरी किस्त संवेदक को भुगतान नहीं करना चाहिए था। आरोपी के द्वारा Mobilization Advance के second installment के Release करने के पूर्व संवेदक से 1st Mobilization Advance के full utilization के proof के रूप में document प्राप्त करने के संबंध में अपने उत्तर में न तो कोई उल्लेख किया गया है न ही इसे संलग्न किया गया है। स्पष्ट है कि आरोप संख्या–05 के संबंध में श्री कुमार उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है।

4. अतएव उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में सम्यक विचारोंरान्त श्री सुशान्त कुमार, तत्कालीन उप महाप्रबंधक (तकनीकी), BSRDCL, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई जमुई के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :–

(i) श्री कुमार को निलंबन मुक्त करते हुए इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत **''तीन वार्षिक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड''** अधिरोपित किया जाता है।

(ii) उनके निलंबन अवधि के विनियमन की कार्रवाई अलग से की जायेगी।

उक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(संजय कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा(निगम) आरोप–27/2021 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा(निगम) आरोप–27/2021 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (द्वारा–आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना)।

अनु0–यथोक्त।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा(निगम) आरोप–27/2021 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, पटना/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, **श्री सुशान्त कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा(निगम) आरोप–27/2021 4332 (5) पटना, दिनांक :– 24/6/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

24.6.2026

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

D/NIGRANI SECTION/SANJIV KUMAR/ADHISHUCHNA & KARYALAY ADESH